न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–33/2019/भीलवाड़ा (2019/00033)

1. कन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मण जाति कुमावत निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द,भीलवाड़ा

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री महादेव जी स्थान देह जरिये तथाकथित पुजारी लक्ष्मणनाथ गुरू हीरानाथ योगी निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. देवीनाथ पिता शम्भूनाथ जाति योगी
3. नन्दकिशोर पिता श्री धन्ना जाति कुम्हार
4. गिरधारीलाल पिता धन्ना जाति कुम्हार
5. हरदेव पिता धन्ना जाति कुम्हार

   समस्त निवासीगण आमलीखेडा (अजीतपुरा) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्धान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आसीन्द दिनांक 29.07.2019 अंतर्गत अपील संख्या 67/2019

उपस्थितः–

1. श्री एम0एल0गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री अक्षय नाथ देवडा,अभिभाषक अपीलांट रेस्पो उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 03.03.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से तथाकथित पुजारी लक्ष्मणनाथ ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 6 के विरूद्ध विद्धान सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि जमाबंदी 2076 से 2079 के खाता संख्या 1245 मौजा आसीन्द में अवस्थित आराजी संख्या 4456,4459

लगायत 4473,4474 लगायत 4480,4482 एंव 4487/7085 कुल किता 25 कुल रकबा 11.5900 हैक्टर भूमि आवेदक के खातेदारी के रूप में कब्जा कायम करके कृर्षि काश्त में उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। आवेदक/प्रार्थी की आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने की वजह से गैर आवेदक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेडों की कटाई छंगाई को लेकर इमेशा विवाद बना रहता है । जिससे आवेदक/प्रार्थी की आराजीयात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है । दिनांक 10.06.2019 को गैर आवेदकगण/रेस्पो0संख्या 2 लगायत 5 ने सीमाज्ञान के लिए निवेदन पर मना कर दिया गया । विद्धान सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर आवेदकगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को जरिये नोटिस तलब किया । रेस्पो0संख्या 2 लगायत 5 के बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लेकर अपने निर्णय दिनांक 29.7.2019 से रेस्पो0संख्या 1 तथाकथित पुजारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबन्द किया कि आवेदक से पत्थरगढी शुल्क 11000 रूपये राजकोष में जमा किये जाकर गैरआवेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर मौके पर मोतबीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए आवेदकगण की उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी करें । अपीलांट उल्लेखित कुल किता 25 कुल रकबा 11.5900 हैक्टर के खेत पडौसी होकर आराजी संख्या 4447,4448,4449,4450,4451 व 4452 का खातेदार काबिज काश्तकार है जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय जेर अपील बिना जांच किये विद्धान सहायक कलकटर(उपखण्ड अधिकारी) आसीन्द का पारित निर्णय दिनांक 29.7.2019 से अपीलांट व्यथित होकर धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि आवेदक/रेस्पो0 संख्या 1 महादेव जी स्थान देह मंदिर का पुजारी नहीं है एंव आवेदक तथाकथित पुजारी ने रेस्पो0संख्या 2 लगायत 5 को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया ,उक्त चारो व्यक्ति प्रार्थना पत्र में मंदिर महादेव की दर्शायी गई भूमि के पडोसी नहीं है न ही व्यथित व पीडित पक्षकार है तथा प्रार्थना पत्र में आराजीयात के पडोसियों/खातेदारों को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्धान सहायक कलकटर(उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द के निर्णय दिनांक 29.7.2019 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो0संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पोषनीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे । xx

2- सर्वप्रथम मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निर्णय करना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

3- विद्धान अपीलांट अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ माननीय न्यायालय में मूल

अपील की सुनवाई का निवेदन करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट प्रकरण में वर्णित आराजी के समीपवर्ती आराजी के खेत पडौसी होकर आराजी संख्या 4447,4448,4449,4450,4451 व 4452 का खातेदार काबिज काश्तकार है जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय जेर अपील बिना जांच किये पारित किया गया होने से प्रार्थी पीडित पक्षकार होने से विद्धान सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द के निर्णय दिनांक 29. 07.2019 से व्यथित होकर धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता है । विद्धान अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव बहस पर गंभीरता से मनन करते हुए हम न्यायहित में अनुमति दिया जाना आवश्यक समझते हैं । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है । xx

4- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अभिभाषक उपस्थिति में प्रकरण में उभयपक्षीय बहस सुनी गई । xx

5- अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पीडित पक्षकार होने से विद्धान सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द के निर्णय दिनांक 29.07.2019 को अपास्त कर रिमाण्ड किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे । xx

6- रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने बहस का प्रतिउत्तर देते हुए मुख्य तर्क दिया कि विद्धान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 पूर्णतया सही है अतः अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावे । xx

7- हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस दौराने अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन व अवलोकन किया । xx

8- हमने अपीलांट अभिभाषक के तर्क का सुक्ष्मता से मनन किया यह सही है कि विवादित आराजियात जमाबंदी 2076 से 2079 के खाता संख्या 1245 मौजा आसीन्द में अवस्थित आराजी संख्या 4456,4459 लगायत 4473,4474 लगायत 4480,4482 एंव 4487/7085 कुल किता 25 कुल रकबा 11.5900 हैक्टर भूमि श्री महादेव जी स्थान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं एंव जमाबंदी अनुसार अपीलांट कन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/4 खाता संख्या 1330 की आराजी संख्या 4447,4448,4449,4450,4451 व 4452 का खातेदार काबिज काश्तकार है । रिकार्ड में उपलब्ध दोनो पक्षों की जमाबंदी एंव नक्शे का अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में वर्णित आराजी के समीपवर्ती खेत खसरा संख्या 4462,4463,4461,4456 से अपीलांट का खसरा संख्या

4448,4449 व 4450 पडौसी होना सिद्ध पाया गया है । इस स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये विद्धान सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)आसीन्द द्वारा वाद संख्या 67/2019 में सीमाज्ञान/पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया जाना, अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जाना व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निर्णय जेर अपील बिना जांच किये एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है । अतः उपरोक्त विचेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.07.2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है कि प्रकरण में दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, मौका जांच करवा कर तथा उभयपक्ष सहित पत्थरगढी की जाने वाली आराजियात के सभी रिकोर्डेड पडौसियान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें । xx

—:क्रियात्मक आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 33/2019 (2019/00033) बउनवानी कन्हैयालाल बनाम श्री महोदव जी स्थान देह आदि को आंशिक स्वीकार किया जाकर विद्धान सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) आसीन्द द्वारा अपील संख्या 67/2019 बउनवान महादेव जी स्थान जरिये पुजारी लक्ष्मणनाथ बनाम देवीनाथ पुत्र शम्भुनाथ में पारित निर्णय दिनांक 29.07. 2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्धान उपखण्ड अधिकारी,आसीन्द को प्रकरण की मौका जांच करवा कर तथा उभयपक्ष सहित पत्थरगढी की जाने वाली आराजियात के सभी रिकोर्डेड पडौसियान को पुनः सीमाज्ञान/पत्थरगढी का निर्णय किये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 11:57:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: